राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2015

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.2/सीएमडी/2015 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, नामत:

1. अनुच्छेद 7 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 7 में -

(i) उप-अनुच्छेद (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामत:

"(1)(क) 1 करोड़ रूपये की अधिकतम अंशदान के साथ एनसीडीज जारी करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ग्राहकों की सीमा 200 होगी एवं ऐसा अंशदान पूर्णत: सुरक्षित होगा."

"(1)(ख) 1 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ जारी करने के संबंध में ग्राहकों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी एवं ग्राहकों के पक्ष में प्रतिभूति तैयार करने का विकल्प उपयोग जारीकर्ता के पास होगा। ऐसे गैर अरक्षित डिबेंचरों को सार्वजनिक जमा नहीं समझा जाएगा यथा आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 21010 में परिभाषित है।

(ii) उप-अनुच्छेद (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, नामत:

"(2) (क) प्रत्येक नियेशक का न्यूनतम अंशदान 20,000/- रूपये होगा।"

"(2) (ख) एनसीडीज का निजी स्थानन का निर्गम दो अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा प्रति निवेशक 1 करोड़ रूपये के अधिक अंशदान के साथ एवं 1 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक के न्यूनतम अंशदान के साथ।"

2. अनुच्छेद 12 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 12 में उप-अनुच्छेद (3) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत:

"12 (4) उपरोक्त अनुच्छेद के प्रावधानों में एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता के साथ अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने से जुटाई गई कोई राशि और जिसमें 1 करोड़ और उससे अधिक पर प्रति निवेशक न्यूनतम अंशदान लागू नहीं होगा परंतु ऐसे डिबेंचर ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किए जाएंगे

3. अनुच्छेद 16 का संशोधन

निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 16 में मौजूदा अनुच्छेद के आखिर में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत:

"आ.वि. कंपनी द्वारा पेश किया गया कर मुक्त बांडों में इन निर्देशों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गई है।"

अर्णव राय
कार्यपालक निदेशक